



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239749
CG-DL-E-19102022-239749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 695]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

सं. 29/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 782(अ).—जहां कि कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “इलैक्ट्रो ग्लवानाइज्ड स्टील” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 27 जुलाई, 2022 जिसे 27 जुलाई, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- विषयगत देशों से होने वाले इस प्रकार के आयात से यहां के उद्योगों को वास्तविक क्षति हुई है; और
- इस प्रकार की वास्तविक क्षति विषयगत देशों से हुए विषयगत माल के पाटित आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं	शीर्षक	विषयगत वस्तु/ विचाराधीन उत्पाद का विवरण	मूलता का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7210, 7212, 7225, 7209, 7211 और 7226	इलैक्ट्रो ग्लवा- नाइज्ड स्टील**	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित किसी भी देश	पोस्को समूह में शामिल पोस्को स्टीलियन कं. लिमिटेड नहीं तो डीसीएम कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूसडॉ.
2.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित किसी भी देश	डोंगकुक् स्टील मिल कंपनी लिमिटेड	शून्य	-वही-	-वही-
3.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित किसी भी देश	हुंदई स्टील कंपनी	शून्य	-वही-	-वही-
4.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित किसी भी देश	डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड	शून्य	-वही-	-वही-
5.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित किसी भी देश	उपरोक्त नंबर 1 से 4 के अलावा कोई भी उत्पादक	16.05	-वही-	-वही-
6.	-वही-	-वही-	विषयगत देशों से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	16.05	-वही-	-वही-
7.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित किसी भी देश	निप्पोन स्टील कारपोरेशन	शून्य	-वही-	-वही-
8.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित किसी भी देश	उपरोक्त नंबर 7 के अलावा कोई भी उत्पादक	64.08	-वही-	-वही-

9.	-वही-	-वही-	विषयगत देशों से इतर कोई देश	जापान	कोई भी उत्पादक	64.08	-वही-	-वही-
10.	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित किसी भी देश	कोई भी उत्पादक	79.73	-वही-	-वही-
11.	-वही-	-वही-	विषयगत देशों से अलावा कोई देश	सिंगापुर	कोई भी उत्पादक	79.73	-वही-	-वही-

****विचाराधीन उत्पाद ('पीयूसी')** "हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो निरंतर इलेक्ट्रोलीटिकली प्लेटेड अथवा ज़िंक के साथ कोटेड हैं, एलाइंग एलिमेंट्स से युक्त अथवा उसके बिना" हैं। विचाराधीन उत्पाद सामान्य इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील के रूप में जाना जाता है।

विचाराधीन उत्पाद अलाय अथवा नान-अलाय स्टील हो सकता है चाहे वह प्राइम अथवा नॉन-प्राइम गुणवत्ता का हो या नहीं। विचाराधीन उत्पाद कॉयल में अथवा नॉट इन कॉयल रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद में इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील की सभी किस्में शामिल हैं चाहे वे कोटेड हों या न हों, पैसिवेटेड, प्रि-ट्रिटिड, प्रि-प्रिटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फासफेटेड, प्रिटिड हो या न हो, चाहे वे कारुगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड हो या न हो और चाहे वे एंटी-फिंगरप्रिंट ट्रीटमेंट वाले हो या न हों।

निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:

- फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद जो एल्यूमीनियम अथवा ज़िंक के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड हैं।
- फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद जो न्यूनतम 9 प्रतिशत होते हुए निकेल के साथ ज़िंक और निकेल के अलाय के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड हैं।
- हॉट-डिप ग्लेवनाइज्ड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।
- टिन-मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।
- लेमिनेटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील
- मुद्रित इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील

विचाराधीन उत्पाद का प्रत्याशित अंतिम प्रयोग संस्कारण से संरक्षण के लिए है और प्रमुख रूप से इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऑटो अनुप्रयोगों, उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, एचवीएसी, रूफिंग और साइडिंग, सीलिंग ग्रिड, निर्माण, कार्यालय उपकरणों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7210, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7209 और 7211 के तहत भी किए गए हैं।"

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/146/2022-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2022

No. 29/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 782(E).—Whereas in the matter of ‘Electrogalvanized Steel’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Korea RP, Japan and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/7/2021-DGTR, dated the 27th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th July, 2022, has come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading/ Sub Heading	Description of subject goods/product under consideration	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7210, 7212, 7225, 7209, 7211 and 7226	Electrogalvanized Steel**	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO Group consisting of: POSCO Co., Ltd. or POSCO SteelLeON Co., Ltd.	NIL	MT	USD
2.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	NIL	-do-	-do-
3.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Steel Company	NIL	-do-	-do-

4.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	DK Dongshin Co., Ltd.	NIL	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than S. No. 1 to 4 above	16.05	-do-	-do-
6.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	16.05	-do-	-do-
7.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Nippon Steel Corporation	NIL	-do-	-do-
8.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer other than S. No. 7 above	64.08	-do-	-do-
9.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Japan	Any	64.08	-do-	-do-
10.	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	Any	79.73	-do-	-do-
11.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Singapore	Any	79.73	-do-	-do-

**** The product under consideration ('PUC') is 'Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements'. The product under consideration is commonly known as Electrogalvanized steel.**

The product under consideration may be either of alloy or non-alloy steel, whether or not of prime or non-prime quality. The product under consideration may be in coils or not in coils form. The product under consideration includes all types of Electrogalvanized steel whether or not coated, passivated, pre-treated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated, printed, whether or not corrugated or profiled, and whether or not having anti-fingerprint treatment.

The following are excluded from the scope of product under consideration, namely:

- i. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc.*
- ii. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of zinc and nickel with nickel content being a minimum 9%.*
- iii. Hot-dip galvanized flat rolled steel products.*
- iv. Tin-mill flat rolled steel products*
- v. Laminated electrogalvanized steel.*
- vi. Printed electrogalvanized steel.*

The intended end use of the product under consideration is for protection from corrosion and is majorly used in the manufacturing of electronic appliances, auto applications, consumer electronics, furniture, HVAC, roofing and siding, ceiling grid, construction, office equipment etc.

The product under consideration is classified under HS Codes 7210, 7212, 7225 and 7226 of Schedule I of the Customs Tariff Act. However, imports of the product under consideration have also been made under HS Codes 7209 and 7211 of Schedule I of the Customs Tariff Act.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/146/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.